[2018] 12 एस. सी. आर 225

भारत संघ और अन्य

बनाम

ई कृष्णा राव और अन्य आदि आदि

(सिविल अपील संख्या 11948–11950/2016)

26 सितंबर , 2018

**[मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति, इंदिरा बनर्जी]**

*भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 नियम 6 सहपठित नियम. 2 (सी) और अनुसूची 1 टिपण्णी 3–प्रत्यर्थियों संख्या 1 और 2 को अपीलकर्ताओं द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था–इसके बाद, प्रत्यर्थियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया था–प्रत्यर्थियों ने दावा किया कि उन्हें अपीलकर्ताओं द्वारा भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा के सदस्य के रूप में नहीं माना गया था और पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया था–न्यायाधिकरण ने सरकार को निर्देश दिया कि वे प्रत्यर्थियों को नियमों के तहत सभी लाभ प्रदान करें और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार करें–उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा–अपील पर, कहा:उच्च न्यायालय के समक्ष यह विवाद में नहीं था कि प्रत्यर्थियों के पद नियमित रूप से स्वीकृत पद थे–इसके आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम 6 सहपठित नियम. 2 (सी) और अनुसूची 1 की टिप्पणी 3, प्रत्यर्थीओं द्वारा धारण किए गए पदों को सेवा में शामिल माना गया था–नियमों से उत्पन्न उच्च न्यायालय की यह व्याख्या सही थी–चूंकि प्रत्यर्थीओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया था, इसलिए उन्हें वेतनमान और समकक्ष वेतनमान में पदों पर लागू सेवा की अन्य शर्तों सहित सभी लाभों से वंचित करना अनुचित और असम्यिक था–प्राधिकरण और उच्च न्यायालय अपने कारण और निष्कर्षों में सही थे–**अ**धिकरण के फैसले की पुष्टि करते हुए स्पष्टीकरण दिया गया।*

**प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को अनुबंध के आधार पर क्रमशः टीवी समाचार संवाददाता और टीवी सहायक समाचार संवाददाता के रूप में नियुक्त किया गया था।इसके बाद, केंद्रीय मंत्रालय ने प्रत्यर्थीओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में माने जाने का विकल्प दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालाँकि, प्रत्यर्थीओं को बारह वर्षों तक पदोन्नति नहीं दी गई। व्यथित होकर,उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा उन्हें भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा के सदस्य के रूप में नहीं माना गया था।न्यायाधिकरण ने सरकार को, नियमों के तहत जो भी सभी लाभ मिलते हैं ,प्रत्यर्थीओं को अनुदत्त करने और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचारकरने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय ने अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा।फलस्वरूप, अपीलें प्रस्तुत की।**

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय  द्वारा अभिनिर्धारित किया गया

1. प्रथम प्रत्यर्थी को 6 अगस्त, 1988 को और दूसरे प्रत्यर्थी को 12 अगस्त, 1988 को अनुबंध पर नियुक्त किया गया था।भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 का नियम , जो नियमो के शुरू होने  की दिनांक सेसेवा के प्रारंभिक गठन का प्रावधान करता है, निर्धारित वेतनमान में नियमित आधार पर पदों पर रहने वाले विभागीय उम्मीदवारों को सेवा में संबंधित पदों और श्रेणियों में नियुक्त किया गया माना जाएगा।नियम 2 (सी) अभिव्यक्ति "विभागीय उम्मीदवार"  की परिभाषा प्रदान करता है।अनुसूची 1 के नोट 3 का प्रभाव यह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में 1 जनवरी, 1985 के बाद स्वीकृत पदों को सेवा में शामिल किया गया माना जाएगा और *उसमें दिखाई गई ताकत में जोड़ा जाएगा*।उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियमों के शुरू होने की तारीख पर, आवेदकों का वेतनमान क्रमशः रु/– 3000–4500 और रु/– 2200–4000 था।नोट 3 में प्रावधान मानने के परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन्हें सेवा में संबंधित पदों और श्रेणियों में नियुक्त किया जाएगा।यह निष्कर्ष अप्रत्याशित है।उच्च न्यायालय के समक्ष यह विवाद नहीं था कि टीवी समाचार संवाददाता और टीवी सहायक समाचार संवाददाता के पद नियमित रूप से स्वीकृत पद थे।इसके आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुसूची 1 के नियम 2 (सी) और टिप्पणी 3 के साथ पठित नियम 6 को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थियों द्वारा धारण किए गए पदों को सेवा में शामिल किया गया माना जाएगा।उच्च न्यायालय के इस निर्वचन की पुष्टि नियमों द्वारा की जाती है।एक बार जब उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाता है, तो उन्हें सभी लाभों से वंचित करना अनुचित और असम्यिकहोगा, जिसमें वेतनमान और समकक्ष वेतनमान में पदों पर लागू सेवा की अन्य शर्तें शामिल हैं।[पैरा 9] [232–ई–एफ; 233–ई–एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11948–11950/2016

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय  हैदराबाद के  दिनांक 20.03. 2014 को 2001 के रिट याचिका (सी) संख्या 5471, 5712 और 14673  केनिर्णय और आदेश से।

उपस्थित पक्षकारो के अधिवक्ता, के. के. राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजीव शर्मा, सुश्री राधलक्ष्मी आर., अंभोज कुमार सिन्हा, एस. के. पांडे, अंशुल राय, चंद्र शेखर ए. चकलब्बी, एस. एन. पांडे, अरुण वोहरा, चंद्र शेखर अशरी, श्रीमती अंजनी अय्यगारी, राजेश श्रीवास्तव, असित कुमार रॉय, स्नेहाशीष मुखर्जी।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया था

**न्यायमूर्ति, डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़.**

1. यह अपीलें 20 मार्च 2014 के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न होती है।उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण[1] एक आदेश की चुनौती को खारिज कर दिया जिसमें अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थीओं को सेवा के सभी लाभ प्रदान करने और भारतीय प्रसारण

[1] "प्राधिकरण"

(कार्यक्रम) सेवा नियम 1990 के अनुसार पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।[2]

2. प्रथम प्रत्यर्थी 6 अगस्त 1988 को पांच साल की अवधि के लिए अनुबंध पर एक टीवी समाचार संवाददाता के रूप में कार्यरत था।दूसरे प्रत्यर्थी को 12 अगस्त 1988 को अनुबंध पर टीवी सहायक समाचार संवाददाता के रूप में नियुक्त किया गया था।ये नियम 5 नवंबर 1990 को लागू हुए।उनके पास टीवी समाचार संवाददाता और टीवी सहायक समाचार संवाददाता के पदों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था।नियम 'विभागीय उम्मीदवार' अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं:

**"(ग)" विभागीय उम्मीदवार "का अर्थ है –**

"(i) आयोग के परामर्श से या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर नियमित आधार पर नियुक्त अधिकारी, और जो नियमित आधार पर पद धारण करते हैं या, इन नियमों के शुरू होने की तारीख को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूह 'ए' कार्यक्रम संवर्ग में ग्रहणाधिकार रखते हैं और

(ii) दूरदर्शन में वीडियो कार्यकारी के पद पर नियमित आधार पर रु/– 3000–4500 के वेतनमान में नियुक्त सभी अधिकारी;"

नियम 6, जो सेवा के प्रारंभिक गठन के लिए प्रावधान करता है, इस प्रकार है:

"6. सेवा का प्रारंभिक संगठन –

(1) उप–नियम (2), (3) और () के प्रावधानों के अधीन सभी विभागीय उम्मीदवार जो स्केल में पदों या नियमित आधार का वेतन रु/– 5900–6700, रु/– 3700–5000, रु/– 3000–4500 और रु/– 2200–4000 इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से, सेवा में संबंधित पदों और श्रेणियों में नियुक्त किया गया माना जाएगा।

परन्तु इस उप–नियम में कुछ भी उन विभाग के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें चयन ग्रेड में वेतनमान रु/– 2200–4000 दिया गया है।

(2) (क) नियम 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विभागीय उम्मीदवारों को सेवा के चार संवर्गों में से किसी एक में शामिल करने के लिए अपने विकल्पों को लिखित रूप में बताना आवश्यक होगा।

(ख) निर्धारित समय के भीतर विकल्प प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, विभागीय उम्मीदवारों को अखिल भारतीय रेडियो या दूरदर्शन के संबंधित संवर्ग में चुना गया माना जाएगा, जहां वे काम कर रहे हैं।

---

[2] भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 को निर्णय में "नियम" से संबोधित किया गया है ।

परन्तु विभागीय उम्मीदवारों को जिन्हें नियम 2 के खंड (ग) के उपखंड (ii) में उल्लेखित किया गया है का दूरदर्शन का कार्यक्रम उत्पादन संवर्गत में विलय हो जाएगा और अनुसूची VII में दर्शाए अनुसार उनकी अलग पहचान बनांये रखी जाएगी

(3) (क) आयोग एक चयन समिति का गठन करेगा जिसमें आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अध्यक्ष के रूप में होंगे और नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा नामित किए जाने वाले उपयुक्त दर्जे के प्रतिनिधि जो तीन से अधिक न हो उप–नियम (2) में निर्दिष्ट विभागीय उम्मीदवारों के सभी विकल्पों पर विचार करेंगे और उस संवर्ग और माध्यम की सिफारिश करेंगे जिसके लिए ऐसे विभागीय उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा सकती है और आयोग को ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करेंगे, जो उस पर अपनी सिफारिशें नियंत्रक प्राधिकरण को भेजेगा।

(ख) आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियों के संबंध में नियंत्रक प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और ऐसी नियुक्तियां सेवा के गठन की तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी।

(ग) ऐसे विभागीय उम्मीदवारों को किसी विशेष माध्यम या उसके कैडर के लिए इस प्रकार आवंटित किए जाने के बाद वे उस माध्यम के कैडर में सेवा करना जारी रखेंगे जिसके लिए उन्हें इस प्रकार सौंपा गया है:

परन्तु आयोग, उपनियम (2) में निर्दिष्ट विभागीय उम्मीदवारों के संबंध में ऐसी सिफारिशें करते समय, एक सिफारिश शामिल कर सकता है कि किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले अधिकारी, यदि उस श्रेणी में पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो इन नियमों के प्रारंभ से पहले उनके द्वारा धारण किए गए पद पर बने रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए ऐसे पदों को तब तक सेवा से बाहर माना जाएगा जब तक कि ऐसे पदों पर बने रहते हैं।

**स्पष्टीकरण** :आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के अलावा किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति चयन समिति की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी।

(4) (क) नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, उप–नियम (3) के परंतुक में निर्दिष्ट अधिकारियों को सेवा में तब शामिल किया जाएगा जब उक्त श्रेणी में रिक्तियां उपलब्ध हों।

(ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें बाद की तारीख में सेवा में शामिल किया जाता है, वे प्रारंभिक संगठन की सेवा में शामिल किए गए व्यक्ति से कनिष्ठ रैंक के होंगे।

(5) विभागीय उम्मीदवार जो सेवा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वे इन नियमों के शुरू होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, नियंत्रक प्राधिकरण को लिखित रूप में अपने निर्णय से अवगत कराएंगे और इसके बाद और इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए इन नियमों के शुरू होने से तुरंत पहले उनके द्वारा धारण किए गए पदों पर बने रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए, ऐसे पदों को तब तक सेवा से बाहर रखा गया माना जाएगा जब तक कि वे उक्त पदों पर हैं।

(6) (क) सेवा में उनकी नियुक्ति से पहले विभागीय उम्मीदवारों की नियमित निरंतर सेवा को पदोन्नति और पुष्टि के उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा।

(ख) जिस सीमा तक नियंत्रक प्राधिकरण इस नियम के प्रावधानों के अनुसार सेवा में विभिन्न श्रेणियों की अधिकृत संख्या को भरने में सक्षम नहीं है, उसे नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा।"

आई. बी. पी. एस. नियमों की अनुसूची । का नोट 3 इस प्रकार हैः

**"नोट 3, आई. बी. पी. एस. नियमों की अनुसूची ।**

3. आकाशवाणी और दूरदर्शन में 1.1.1985 के बाद विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत पदों की संख्या को सेवा में शामिल माना जाएगा और ऐसे पदों को उसमें दिखाई गई संख्या के साथ जोड़ा जाएगा।"

अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किए गए पदों को उनके वेतनमान के साथ निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः

| क्रमांक | ग्रेड | ऑल इंडिया रेडियो | दूरदर्शन | वेतन का पैमाना |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड उप महानिदेशक (प्रबंधन) | 10. | 11. | Rs.5900–200–6700 |
| 2. | कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) वरिष्ठ निदेशक | – * | – * | रु. 4500–150–5700 |
| 3. | कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड निदेशक/नियंत्रक | 44. | 15. | रु. 3700–125–4700–150–5000 |
| 4. | सीनियर टाइम स्केल डिप्टी डायरेक्टर/डिप्टी कंट्रोलर | 130 | 32. | रु. 3000–100–3500–125–4500 |
| 5. | जूनियर टाइम स्केल कार्यक्रम अधिकारी | 144 | 37 | रु. 2200–75–2800–EB–100–4000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कुल | 328 | 95 | |

अनुसूची II में कार्यक्रम उत्पादन संवर्ग का प्रावधान है।

3. 29 नवंबर 2011 को, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रत्यर्थीओं से विकल्प मांगे कि क्या वे सरकारी सेवकों के समान व्यवहार किये जाने की इच्छा रखते हैं या क्या वे संविदा कर्मचारी के रूप में बने रहना चाहते हैं । प्रथम प्रत्यर्थी ने सरकारी कर्मचारी के रूप में व्यवहार करने का विकल्प चुना। 21 मार्च 1992 को, दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद के निदेशक ने टीवीएच/23 (6) 92–एस) ने 31 मार्च 1992 से प्रथम प्रतिवादी को सरकारी कर्मचारी घोषित किया। ज्ञापन इस प्रकार हैः

"ज्ञापन"

टी. वी. न्यूज कॉरस्पॉन्डेंट की श्रेणी में श्री ई. कृष्णा राव द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प पर विचार किया गया है। तदानुसार श्री ई कृष्ण राव, दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद, को महानिदेशक पत्र संख्या 45011/29/91 बी.डी (आर) दिनांकित 29.11.91, प्रभावी दिनांक 6.8.88 से सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है।

पेंशन लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु आदि सहित सभी मौजूदा नियम/विनियम और लाभ जो नियमित सिविल सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं, वे उन पर लागू होंगे। फलस्वरूप, उनके साथ किया गया अनुबंध 6.8.88 से समाप्त होना समझा जाएगा।

टी. वी. न्यूज कॉरस्पॉन्डेंट की श्रेणी में कर्मचारी कलाकारों का पद, जो अब तक श्री ई. कृष्ण राव के पास था, पदनाम परिवर्तन किये बिना 6.8.88 से सिविल पद में परिवर्तित किया गया है। जिन शुल्क मानों में वह कार्यरत है, उन्हें संबंधित पद के वेतनमान के रूप में माना जाएगा और उनके द्वारा लिया गया शुल्क उनके द्वारा लिए गए वेतनमान के रूप में होगा।इस पद को 6.8.88 से प्रभावी अस्थायी पद के रूप में बनाया गया माना जाएगा जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियत समय में स्थायी पद में परिवर्तित किया जाएगा।

प्रति–निर्देशक"

(प्रशासनिक अधिकारी)"

ज्ञापन में यह कहा गया है कि पेंशन लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु आदि सहित सभी नियम/विनियम और लाभ, जो नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, 6 अगस्त 1988 से प्रथम प्रतिवादी पर भी लागू होंगे, जिससे वह अनुबंध समाप्त हो जाएगा जो उनके द्वारा अपनी भर्ती के समय किया था। दूसरे प्रत्यर्थी को भी इसी तरह सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया था।

4. प्रत्यर्थीओं को बारह वर्षों तक कोई पदोन्नति नहीं दी गई थी। इससे व्यथित होकर, उन्होंने CAT के समक्ष 1999 का (OA) क्रमांक 916 और 1999 का (OA) क्रमांक 1010 दायर किया, यह दावा करते हुए कि उन्हें कोई पदोन्नति नहीं मिली है, क्योंकि अपीलकर्ताओं द्वारा उन्हें भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा के सदस्य के रूप में नहीं माना गया था। प्राधिकरण ने प्रत्यर्थियों के आवेदनों को मंजूरी दी और सरकार को निर्देश दिया कि वे उन्हें नियमों के तहत सभी लाभ प्रदान करें और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार करें।

5. अपीलकर्ताओं ने प्राधिकरण के आदेश को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि टीवी समाचार संवाददाता और टीवी सहायक समाचार संवाददाता के पदों को नियमों में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्यर्थीओं को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चयन ग्रेड) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है और इसलिए, प्राधिकरण के पास ऐसा निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

6. उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण के इस फैसले को बरकरार रखा कि वार्षिक कैरियर प्रगति योजना के तहत प्रत्यर्थीओं द्वारा लाभों की स्वीकृति उन्हें समकक्ष वेतनमान प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं बनाती है। उच्च न्यायालय ने अनुसूची 1 के नियम 6 और टिप्पणी 3 के साथ नियम 2 (सी) में 'विभागीय उम्मीदवार' अभिव्यक्ति के अर्थ की जांच की। उच्च न्यायालय ने अभिधारित किया:

"उपरोक्त परिभाषा के एक मात्र अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पदों पर है, उसे" "विभाग के उम्मीदवार" "के रूप में भी देखा जा सकता है"। इस न्यायालय के समक्ष यह विवाद में नहीं है कि 31 मार्च 1992 की कार्यवाही के आधार पर आवेदकों को क्रमशः 6 अगस्त 1988 और 12 अगस्त 1988 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया था।इसलिए आवेदक आईबीपीएस नियम, 1990 की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित "विभाग उम्मीदवार" की परिभाषा में फिट बैठते हैं। आई. बी. पी. एस. नियमों का नियम 6 यह है कि उप–नियम (2), (3) और (4) के प्रावधानों के अधीन सभी विभागीय उम्मीदवार जो रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर रु 5900–6700, रु 3700–5000, रु 3000–4500 और रु 2200–4000, पद धारण करते हैं। इन नियमों के प्रारंभ की तारीखों से, सेवा में संबंधित पदों और श्रेणियों में नियुक्त किया गया माना जाएगा।"

इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी नियमों की धारा 2 (सी) के तहत विभागीय उम्मीदवार की परिभाषा को पूरा करते हैं।नियम 6 में प्रावधान है कि उप–नियम (2), (3) और (4) के प्रावधानों के अधीन, ए में नियमित आधार पर पदों पर आसीन सभी विभागीय उम्मीदवार, रुपये के वेतनमान, रु 5900–6700 रु 3700–5000, रु 3000–4500 और रु 2200–4000, नियमों के प्रारंभ की तारीख से, सेवा में संबंधित पदों और श्रेणियों में नियुक्त किया गया माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने नियमों की अनुसूची 1 के नोट 3 पर भी आश्रित किया है, जिसके तहत 1 जनवरी 1985 के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन में विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत पदों को सेवा में शामिल किया गया माना जाता है और ऐसे पदों को संवर्ग की संख्या में जोड़ा जाएगा।

7. मध्यवर्ती आवेदन दायर किए गए। करने वालों कामध्यक्षेपकर्ताओ का कहना है कि वे प्रथम और द्वितीय प्रत्यर्थीओं के समान श्रेणी में आते हैं और इसलिए नियम उन पर भी लागू होने चाहिए। याचिकाकर्ता ने प्रथम और द्वितीय प्रत्यर्थीओं और 2 साल की परिवीक्षा के बाद इसी तरह के व्यक्तियों को पदोन्नति की भी पेशकश की, लेकिन इसके पूरा होने के बाद भी उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया मध्यक्षेपकर्ताओ ने अपनी लिखिततर्कों में यह भी प्रस्तुत किया है कि 9 अगस्त 2018 को अंतिम सुनवाई के दो दिन बाद, अपीलकर्ताओं ने एक राजपत्र अधिसूचना ऑनलाइन प्रकाशित की जिसमें संक्षिप्त भर्ती नियम 2014 दिखाया गया है जिसमें प्रभावित पक्षों को लाभ से बचाने के लिए टीवी सहायक समाचार संवाददाताओं के समूह ए पदों को शामिल नहीं किया गया है।

8. याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थियों द्वारा की गईतर्कों को सुनने पर, हमारा यह विचार है कि प्राधिकरण और उच्च न्यायालय अपने निष्कर्षों पर सही हैं।

9. नियम 6, जो सेवा के प्रारंभिक गठन का प्रावधान करता है, यह निर्धारित करता है कि नियमों के शुरू होने की तारीख से, विभागीय उम्मीदवार जो निर्धारित वेतनमान में नियमित आधार पर पदों पर रहे हैं, उन्हें सेवा में संबंधित पदों और श्रेणियों में नियुक्त किया गया माना जाएगा। नियम 2 (सी) "विभागीय उम्मीदवार" अभिव्यक्ति की परिभाषा प्रदान करता है। अनुसूची 1 के टिपण्णी 3 का प्रभाव यह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में 1 जनवरी 1985 के बाद स्वीकृत पदों को सेवा में शामिल किया गया माना जाएगा और उसमें दिखाई गई संख्या में जोड़ा जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियमों के शुरू होने की तारीख पर, आवेदकों का वेतनमान क्रमशः रु 3000–4500 और रु 2200–4000 था। नोट 3 में डीमिंग प्रावधान के परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन्हें सेवा में संबंधित पदों और श्रेणियों में नियुक्त किया जाएगा । यह निष्कर्ष अप्रत्याशित है।उच्च न्यायालय के समक्ष यह विवाद नहीं था कि टीवी समाचार संवाददाता और टीवी सहायक समाचार संवाददाता के पद नियमित रूप से स्वीकृत पद थे। इसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुसूची 1 के नियम 2 (सी) और टिप्पणी 3 के साथ पठित नियम 6 को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थियों द्वारा धारण किए गए पदों को सेवा में शामिल किया गया माना जाएगा।**उच्च न्यायालय के इस निर्वचन की पुष्टि नियमों द्वारा की जाती है** एक बार जब उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाता है, तो उन्हें सभी लाभों से वंचित करना अनुचित औरअसम्यिक होगा, जिसमें वेतनमान और समकक्ष वेतनमान में पदों पर लागू सेवा की अन्य शर्तें शामिल हैं।

10. न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि करते हुए, हम स्पष्ट करते हैं की:

(i) पदोन्नति जो पहले ही प्रभावि हो चुकी हैं और मौजूदा वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी;

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में, एक काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जाएगा और सेवानिवृत्त लाभ, पेंशन सहित, यदि कोई हो, तो, उस आधार पर निर्धारित किए जाएंगे; और

(iii) वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नति के लिए व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया जाएगा।

11. उपरोक्त निर्बंधनो पर  अपीलों का निपटारा  तदनुसार किया जाता है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया गया है। खर्चो के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।